

UNIVERSITY OF LUCKNOW

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ



Registrar

TELEPHONE : 0522-2740412
FAX : 0522-2740810
E.Mail : registrar@lkoouniv.ac.in
Mob. No. 09415545453
Mob. No. 07991200503

Ref. No. :

Date :

शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध

सेवा में,

समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक/ प्राचार्य, कला एवं शिल्प
महाविद्यालय ललित कला संकाय, प्रभारी
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

विषय: उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत समस्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान
दिनांक 15.02.2021 से पूर्ण रूपेण संचालित/ खोले जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-501/सत्तर-3-2021-08(20)/2020 दिनांक
12 फरवरी, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा समस्त शिक्षण संस्थानों
को पूर्णरूपेण खोले जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

अतः शासन के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 12 फरवरी, 2021 की छायाप्रति संलग्न कर
प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि पत्र में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए
दिनांक 15.02.2021 से विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थानों को पूर्णरूपेण खोलने /संचालित
करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(वी०पी० कौशल)
प्रभारी कुलसचिव

संख्या : R/88/21

दिनांक : 13/02/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव कुलपति को मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. परीक्षा नियन्त्रक, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. वित्त अधिकारी, ल०वि०वि०।
4. चीफ प्रोवोस्ट, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. कुलानुशासक, ल०वि०वि०।
6. कार्य अधीक्षक, निर्माण विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
7. अधिष्ठाता, छात्रकल्याण, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
8. समस्त प्रोवोस्ट, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
9. समस्त, उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
10. अवैतनिक पुस्तकालयाध्यक्ष, टैगोर पुस्तकालय, ल०वि०वि०।
11. प्रबन्धक/प्राचार्य/प्राचार्या समस्त सहयुक्त/सम्बद्ध महाविद्यालय (लखनऊ, हरदोई, रायबरेली,
लखीमपुर खीरी एवं सीतापुर) ल०वि०वि० को संलग्नकों सहित इस आशय से प्रेषित है कि
शासन के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
12. इंचार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, ल०वि०वि० को इस आशय से प्रेषित कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट
पर अपलोड करने एवं सम्बन्धित ई-मेल से प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रभारी कुलसचिव

प्रेषक,

अब्दुल समद
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलपति,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ०प्र०,
प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 12 फरवरी, 2021

विषय:-उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत समस्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान दिनांक 15.02.2021 से पूर्ण रूपेण संचालित/खोले जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत पोस्ट लॉकडाउन अवधि में, गृह (गोपन) अनुभाग-3 द्वारा पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 01.10.2020 में दिए गए दिशा-निर्देशों के क्रम में समस्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में भौतिक रूप से पठन-पाठन दिनांक 23.11.2020 से आरम्भ किए जाने हेतु उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उ०प्र० शासन के पत्र दिनांक 17.11.2020 द्वारा कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर अनुमति प्रदान की गयी थी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उच्च शिक्षा अनुभाग-3 के उक्त आदेश दिनांक 17 नवम्बर, 2020 को शिथिल करते हुए विभाग के अन्तर्गत समस्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थानों को दिनांक 15.02.2021 से पूर्ण रूपेण संचालित/खोले जाने का सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश संख्या-40-3/2020DM-I(A), दिनांक 27.01.2021 तथा गृह गोपन अनुभाग-3, उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत आदेश दिनांक 29.01.2021 संलग्न कर अनुपालनार्थ प्रेषित करते हुए निम्नलिखित शर्तों के साथ **समस्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान को दिनांक 15.02.2021 से पूर्ण रूपेण संचालित/खोले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-**

- (1) कोविड-19 से सम्बन्धित अपेक्षित आचरण/कार्यवाही को प्रोत्साहित करने हेतु तथा मास्क पहनने, हाथों की स्वच्छता व सामाजिक दूरी के मानकों का कड़ाई से अनुपालन किए जाने हेतु उपाय किए जायेंगे।
- (2) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान खोले जाने से पूर्व उन्हें पूर्ण रूपेण सेनेटाईज किया जाए।
- (3) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में सेनेटाईजर, हैण्डवाश, थर्मलस्कैनिंग एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। यदि किसी विद्यार्थी या शिक्षक या अन्य कार्मिक को खासी, जुखाम या बुखार के लक्षण हो तो उन्हें प्राथमिक उपचार देते हुए घर वापस भेज दिया जाय।

- (4) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में कोई विद्यार्थी यदि कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी प्रोटोकाल का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।
- (5) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ हैण्डवाश/हैण्ड सेनेटाईज कराने के पश्चात ही छात्रों को प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित किया जाये। संस्थान में यदि एक से अधिक प्रवेश द्वार हैं तो उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाय।
- (6) क्लास रूम में छात्रों को 06 फीट की दूरी पर बैठाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।
- (7) संस्थान में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इस हेतु पूर्व से ही अतिरिक्त मात्रा में मास्क उपलब्ध रखे जाये।
- (8) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थानों में सभी छात्रों और शिक्षकों को एक फेस कवर/मास्क पहनना अनिवार्य होगा। विशेषतः कक्षा में, या समूहों में कोई गतिविधि करते समय, जैसे-प्रयोगशालाओं में काम करते समय या पुस्तकालयों में पढ़ते समय।
- (9) छात्रों और स्टाफ में कोविड के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल उसकी जाँच करायी जाय और परिणाम का अभिलेखीकरण सुनिश्चित किया जाय।
- (10) शिक्षकों/छात्रों/कार्मिकों के लिए रूमाल/टिशू पेपर या कोहनी में खांसने या छींकने तथा चेहरा, आँख, मुँह, नाक और कान को छूने से बचने हेतु जागरूक किया जाय।
- (11) सफाई स्टाफ/कार्मिकों के लिए आवश्यक उपकरण जैसे दस्ताने, फेस कवर/मास्क, हाथ धोने का साबुन आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।
- (12) दूसरों के साथ भोजन और बर्तन साझा करने से बचने के लिए संस्थानों में सभी छात्र-छात्राओं/शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाय।
- (13) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान में किसी भी बाहरी विक्रेता को परिसर के भीतर या प्रवेश द्वार/बिन्दु पर कोई भी खाने की चीज बेचने की अनुमति प्रदान न की जाय।
- (14) विभिन्न स्थानों पर शारीरिक/सामाजिक दूरी मानदंड और छात्रों के व्यवहार जैसे बार-बार अपने चेहरे को छूना या अन्य छात्रों के साथ हाथ मिलाना आदि की निगरानी के लिए रोटेशन के आधार पर शिक्षकों और छात्रों को उत्तरदायित्व दिया जाय।
- (15) संस्था में गतिविधि शुरू करने से पहले ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पीएचडी कोर्स तथा स्नातकोत्तर अध्ययन जिसमें छात्रावास, प्रयोगशालायें तथा अन्य सामान्य उपयोगी क्षेत्रों को विशेष रूप से ध्यान रखते हुए 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट से सेनिटाइज कराया जाय।
- (16) बायोमेट्रिक्स उपस्थिति के बजाय सम्पर्क रहित उपस्थिति के लिये वैकल्पिक व्यवस्था की जाय।
- (17) परिसर में अन्दर-बाहर आने-जाने वालों के लिये कतार का प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाय जिसमें छः फीट की दूरी पर विशिष्ट चिन्ह बनाया जाय।
- (18) छात्रावास में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य उपायों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करते हुए निम्नलिखित निर्देशों को संज्ञानित किया जाय :-
 - छात्रावास के परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग, सेनिटाइजेशन एवं सभी छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जाय।
 - डायनिंग हॉल, सामान्य कमरे में छात्रों की दूरी सीमित रखी जाय।
 - रसोई, डायनिंग हॉल, बाथरूम एवं शौचालय आदि की स्वच्छता की निगरानी नियमित रूप से रखी जाय।

- डायनिंग हॉल में भीड़ से बचने के लिये छोटे-छोटे बैच में छात्रों को भोजन के लिये बुलाया जाय चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भोजन ताजा पका हुआ हो तथा एक वरिष्ठ कर्मचारी की निगरानी में भोजन बनाया जाना चाहिए तथा बर्तन साफ-सुथरे होने चाहिए।
- भोजन बनाए जाने से पूर्व कर्मचारियों द्वारा फेस कवर, मास्क तथा हाथों को सेनेटाइज किया जाना आवश्यक है।
- छात्रों एवं कर्मचारियों को बाजार में जाने से बचना चाहिए। जहां तक सम्भव हो आवश्यक वस्तुओं को परिसर के भीतर ही उपलब्ध कराया जाय।
- हॉस्टल के भोजन कक्ष में छात्रों की संख्या को निर्धारण कर सकते हैं। भीड़भाड़ से बचने के लिये मेस टाइमिंग बढ़ाई जाय।

3- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान को पूर्ण रूप से खोले जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था का सतत अनुश्रवण एवं कोविड-19 के प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा किसी वरिष्ठ एवं भिन्न अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा, जिसके द्वारा नियमित रूप से शासन को कृत कार्यवाही की प्रगति आख्या उपलब्ध करायी जाये।

4- कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव। 2

संख्या-501 (1)/सत्तर-3-2021, तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 2- अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
- 3- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- निजी सचिव, मा० उप मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
- 5- निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 6- कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ०प्र०।
- 7- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(हरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव।